


आदेश

महाविद्यालयों से प्राप्त सूचना/ पत्र के आधार पर राजस्थान पुनरीक्षित (यू.जी.सी) वेतनमान नियम 2018 के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों, लाईब्रेरीयन एवं पी.टी.आई. के वेतन नियतन अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में शेष रहे (वेतन नियतन प्रकरणों में आक्षेपसुदा अथवा अन्य कारणों से लम्बित रहे) वेतन नियतन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से	महाविद्यालय का नाम
1.	1.3.19	नसीराबाद, निवाई, राजसमन्द, नाथद्वारा, सांभरलेक, कालाडेरा, दौसा
2	6.3.19 (सूचना)	सूरतगढ, श्रीगंगानगर, कन्या चौमू, रतनगढ, कला चिमनपुरा, लूणी, बांसवाडा, शिवगंज

महाविद्यालय के सहायक लेखाधिकारी-प्रथम द्वारा उक्त वेतन नियतन प्रपत्र मय पुस्तिका के विकल्प सहित निर्धारित दिनांक को व्यक्तिशः आयुक्तालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। RVRES व्याख्याता प्राचार्य से वेतन नियतन हेतु लेटरपेड पर "वेतन विसंगति एवं वसूली से सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं कोई वसूली बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र" लेकर आये।

उपरोक्त कार्यक्रम के उपरान्त शेष रहे प्रकरणों के लिए महाविद्यालय द्वारा RPSC से चयनित व्याख्याताओं के लिए संयुक्त निदेशक (HRD) एवं RVRES से आये व्याख्याताओं के लिए संयुक्त निदेशक (RVRES) के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायेंगे।



वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 24(जे)(1)(यू.जी.सी.)लेखा/आकाशि/वेतन निर्धारण/2019/14

दिनांक - 27-2-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक. (एच.आर.डी.), संयुक्त निदेशक (आरवीआरईएस), कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. कार्यालयध्यक्ष, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
4. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
5. श्री लालचन्द्र बलाई, AAO I एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा, से.नि. AAO I - उक्त दिवसों में लेखा शाखा में बैठकर वेतन नियतन कार्य करेंगे।
6. वेबसाईट प्रभारी कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।


(एन.एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार